## संसदीय कार्य विभाग
### अधिसूचना

जयपुर, 22 अक्टूबर, 1981

**जी. एस. आर. 71**-राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों एवं सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1956 (1957 का राजस्थान अधिनियम 6) की धारा 6-क की उप-धारा (4) के परन्तुक के साथ पठित धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, *राजस्थान विधान सभा अधिकारी (बिजली, पानी विषयक रियायतें) नियम, 1981 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :-**(1) इन नियमों का नाम राजस्थान विधान सभा अधिकारी (बिजली पानी विषयक रियायतें) (*संशोधन) नियम 1981 है।

**2. लागू होना :**-ये नियम राजस्थान विधान सभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष पर और सरकारी मुख्य सचेतक, सरकारी उप मुख्य सचेतक और विरोधी दल के नेता पर भी, जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिकारियों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, लागू होंगे।

**3. बिजली और पानी विषयक रियायत :**-राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1956 (1957 का राजस्थान अधिनियम 6) की धारा 6-क की उप-धारा (4) के प्रयोजनों के लिए उक्त अधिकारी अपने निवास स्थान पर बिजली और पानी के उपयोग विषयक अपने द्वारा देय समस्त प्रभारों के अपनी सम्पूर्ण पदावधि भार और ऐसे पद पर न रहने की तारीख से दो मास की कालावधि तक अपने लिए और अपनी ओर से सरकार द्वारा संदाय की रियायत के इस शर्त के अध्यधीन रहते हुए हकदार होंगे कि ऐसे संदाय की रियायत प्रति वर्ष 35,000# यूनिट बिजली और 50# लाख लीटर पानी की सीमा से अधिक नहीं होगी।

**4. निरसन :**-राजस्थान विधान सभा अधिकारी वर्ग (विद्युत एवं जल सम्बन्धी रियायत) नियम, 1965 इसके द्वारा निरसित किये जाते हैं।

[संख्या एफ. 7(8) संसद/81]
राज्यपाल के आदेश से,
**गोपाल कृष्ण शर्मा**
शासन सचिव।

---

* अधिसूचना सं. प.7 (3) संसद/89 दिनांक 27 जून, 2001 द्वारा प्रतिस्थापित

\# अधिसूचना सं. प.7(1) संसद/2012 दिनांक 14-6-2012 दिनांक 1-4-2012 से लागू